



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. /Type Approval No.1143

मद/FOR ITEM: सर्ज सप्रेसर बॉक्स / Surge Suppressor Box

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **डीएलआरएल**, हैदराबाद द्वारा विकसित तथा मेसर्स **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड**, 1ई नाचाराम, हैदराबाद द्वारा उत्पादित, “**सर्ज सप्रेसर बॉक्स**”, मास्टर आरेखन सूची सर्ज सप्रेसर 1720 012 159 64 के अनुसार प्रोजेक्ट काइट के चेतक और कामोव हेलिकॉप्टरों में काम आता है, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए (हैदराबाद) के समन्वय से क्वालीफिकेशन टेस्ट प्रोसीज़र दस्तावेज सं. बीईएल/एसएसबी/2000/02 के अनुसार परिक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न “वर्गरिकार्ड कम्प्लायंस स्टेटमेंट” की विवरण/परीक्षण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the “Surge Suppressor Box” bearing Part No. 1720 012 159 64 developed by M/s DLRL Hyderabad & manufactured by M/s. Bharath Electronics Ltd., I.E. Nacharam Hyderabad – 500 076, is hereby approved for production as per Master drawing Index surge suppressor-1720 012 159 64 for use on project KITE on Chetak and Kamov helicopters. It has been tested as per Quality Test Procedure document reference No. BEL/SSB/2000/02, in co-ordination with RCMA (Hyderabad). It has met the requirements as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ठ/Page 01 of 02

FL06
A
B
C
D
E

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी सुपरसीड होती है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये।

The Provisional Clearance accorded to the product is hereby superseded consequent to the issuance of this Type Approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

4. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2010 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए (हैदराबाद), बालानगर, हैदराबाद 500 042 से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2010 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyderabad), Balanagar, Hyderabad 500 042, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1143

दिनांक/Date : 13 अक्टूबर 2005

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

ज.के.शर्मा
13/9/05
(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)

30/08/05 20/8/05